

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 50/2019

1. जगदीश सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी खोरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब न म

1. राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती अंधारा 136 एल.आर.एक्ट


उपस्थिति—

1. श्री भवानी सिंह शेखावत, वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य

दिनांक - 19.08.2019


1. आवेदन का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 0.17 है, ख0नं0 495 रकबा 1.02 है, ख0नं0 532 रकबा 0.04 है, ख0नं0 533 रकबा 1.83 है किता 4 कुल रकबा 3.06 है व भूमि ख0नं0 548 रकबा 0.15 है, ख0नं0 529 रकबा 0.21 है, ख0नं0 546 रकबा 1.26 है, ख0नं0 547 रकबा 0.67 है किता 3 कुल रकबा 2.14 है, ख0नं0 183 रकबा 2.69 है, ख0नं0 184 रकबा 0.60 है, ख0नं0 185 रकबा 2.13 है, ख0नं0 187 रकबा 0.68 है, ख0नं0 188 रकबा 0.64 है, ख0नं0 189 रकबा 0.03 है, ख0नं0 190 रकबा 0.02 है, ख0नं0 191 रकबा 0.20 है, ख0नं0 192 रकबा 2.20 है, ख0नं0 193 रकबा 2.40 है, ख0नं0 194 रकबा 0.03 है किता 11 कुल रकबा 11.62 है व भूमि ख0नं0 605 रकबा 1.04 है, ख0नं0 608 रकबा 0.23 है, ख0नं0 609 रकबा 0.12 है, ख0नं0 623 रकबा 0.03 है किता 4 कुल रकबा 1.42 है तन ग्राम खोरा पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी का कमशः 1/48, 1/24, 1/24, 1/12, 1/12 हक हिस्सा है तथा जमाबंदी में उक्त खातेदारी आवेदक के नाम देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत के नाम सें दर्ज है। आवेदक का सही



उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

व वास्तविक नाम जगदीश सिंह है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेनकार्ड, जॉब कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में आवेदक का नाम जगदीश सिंह है। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती से आवेदक का नाम जगदीश सिंह की जगह देवीसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि आवेदक का सही नाम जगदीश सिंह है तथा जगदीश सिंह पुत्र प्रभूसिंह तथा देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह एक ही व्यक्ति है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी/आवेदक द्वारा अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 0.17 है, ख0नं0 495 रकबा 1.02 है, ख0नं0 532 रकबा 0.04 है, ख0नं0 533 रकबा 1.83 है किता 4 कुल रकबा 3.06 है व भूमि ख0नं0 548 रकबा 0.15 है, ख0नं0 529 रकबा 0.21 है, ख0नं0 546 रकबा 1.26 है, ख0नं0 547 रकबा 0.67 है किता 3 कुल रकबा 2.14 है, ख0नं0 183 रकबा 2.69 है, ख0नं0 184 रकबा 0.60 है, ख0नं0 185 रकबा 2.13 है, ख0नं0 187 रकबा 0.68 है, ख0नं0 188 रकबा 0.64 है, ख0नं0 189 रकबा 0.03 है, ख0नं0 190 रकबा 0.02 है, ख0नं0 191 रकबा 0.20 है, ख0नं0 192 रकबा 2.20 है, ख0नं0 193 रकबा 2.40 है, ख0नं0 194 रकबा 0.03 है किता 11 कुल रकबा 11.62 है व भूमि ख0नं0 605 रकबा 1.04 है, ख0नं0 608 रकबा 0.23 है, ख0नं0 609 रकबा 0.12 है, ख0नं0 623 रकबा 0.03 है किता 4 कुल रकबा 1.42 है तन ग्राम खोरा पटवार हल्का कैलाश तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक/प्रार्थी का नाम देवीसिंह के स्थान पर सही व वास्तविक नाम जगदीश सिंह दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ की ओर से जवाब पेश किया गया। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि ग्राम खोरा पटवार हल्का कैलाश में अवस्थित विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संभवन से देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह दर्ज हुआ है अतः प्रार्थी का नाम देवी सिंह के स्थान पर सही नाम जगदीश सिंह दर्ज किया जावे।

  
राजस्व अधिकारी, दांतारामगढ

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की ओर से पेश जवाब का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसके अनुसार "प्रार्थी का सही नाम जगदीश सिंह है जो संलग्न दस्तावेजों पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, व बैंक पासबुक पेनकार्ड, जॉबकार्ड, भामाशाह कार्ड से सही पाया जाता है तथा पटवारी रिपोर्ट व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर जगदीश सिंह पुत्र प्रभूसिंह दुरुस्त करने की अभिशंषा की जाती है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार दांतारामगढ की ओर से पेश जवाब के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खोरा पटवार हल्का कैलाश की भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 0.17 है, ख0नं0 495 रकबा 1.02 है, ख0नं0 532 रकबा 0.04 है, ख0नं0 533 रकबा 1.83 है किता 4 कुल रकबा 3.06 है व भूमि ख0नं0 548 रकबा 0.15 है, ख0नं0 529 रकबा 0.21 है, ख0नं0 546 रकबा 1.26 है, ख0नं0 547 रकबा 0.67 है किता 3 कुल रकबा 2.14 है, ख0नं0 183 रकबा 2.69 है, ख0नं0 184 रकबा 0.60 है, ख0नं0 185 रकबा 2.13 है, ख0नं0 187 रकबा 0.68 है, ख0नं0 188 रकबा 0.64 है, ख0नं0 189 रकबा 0.03 है, ख0नं0 190 रकबा 0.02 है, ख0नं0 191 रकबा 0.20 है, ख0नं0 192 रकबा 2.20 है, ख0नं0 193 रकबा 2.40 है, ख0नं0 194 रकबा 0.03 है किता 11 कुल रकबा 11.62 है व भूमि ख0नं0 605 रकबा 1.04 है, ख0नं0 608 रकबा 0.23 है, ख0नं0 609 रकबा 0.12 है, ख0नं0 623 रकबा 0.03 है किता 4 कुल रकबा 1.42 है में खातेदार देवीसिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर जगदीश सिंह पुत्र प्रभूसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर से कम हो।



(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ